रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML/2006.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 7 फरवरी, 2006/18 माघ, 1927

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–171002, 7 फरवरी, 2006

संख्या एल0एल0आर0–डी0(6)–37/2005–लेज.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 5–2–2006 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर (निरसन) विधेयक, 2005 (2005 का विधेयक संख्यांक 27) को वर्ष 2006 के अधिनियम संख्यांक 1 के रूप में संविधान के

4481–राजपत्र/2006–7–2–2006–1,538. (6765) मूल्य : एक रुपया ।

अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करते हैं ।

आदेश द्वारा,

सुरेन्द्र सिंह ठाकुर,
प्रधान सचिव (विधि)।

2006 का अधिनियम संख्यांक 1

हिमाचल प्रदेश वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर (निरसन) अधिनियम, 2005

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 5 फरवरी, 2006 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर अधिनियम, 2005 (2005 का 15) का निरसन करने के लिए **अधिनियम।**

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर (निरसन) अधिनियम, 2005 है।

(2) यह नवम्बर, 2005 के प्रथम दिवस को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2005 के अधिनियम संख्यांक 15 का निरसन और व्यावृत्तियां ।

2. (1) हिमाचल प्रदेश वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर अधिनियम, 2005 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) उक्त अधिनियम का निरसन निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगा—

(क) उक्त अधिनियम के अधीन पूर्व प्रवर्तन या सम्यक रूप से की गई या होने दी गई किसी बात, या

(ख) उक्त अधिनियम के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत कोई अधिकार, विशेषाधिकार या बाध्यता या दायित्व, या

(ग) उक्त अधिनियम के अधीन किसी अपराध के सम्बन्ध में उपगत कोई शास्ति, समपहरण या दण्ड, या

(घ) यथापूर्वोक्त ऐसे किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दण्ड से सम्बन्धित किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार,

और ऐसा कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाहियाँ या उपचार संस्थित, चालू या प्रवर्तनशील रखा जा सकेगा और ऐसी कोई शास्ति, समपहरण या दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा, मानों उक्त अधिनियम निरसित ही नहीं किया गया है।

निरसन और व्यावृत्ति।

3. (1) हिमाचल प्रदेश वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं, और नियोजनों पर कर (निरसन) अध्यादेश, 2005 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है। 2005 का अध्यादेश संख्यांक 9.

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 1 of 2006

THE HIMACHAL PRADESH TAX ON PROFESSIONS, TRADES, CALLINGS AND EMPLOYMENTS (REPEAL) ACT, 2005

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 2ND FEBRUARY, 2006)

AN

ACT

to repeal the Himachal Pradesh Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2005 (Act No. 15 of 2005).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-sixth Year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Tax on Professions, Trades, Callings and Employments (Repeal) Act, 2005.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 1st day of November, 2005.

Repeal of Act No. 15 of 2005 and savings.

2. (1) The Himachal Pradesh Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2005 is hereby repealed.

(2) The repeal of the said Act shall not affect-

(a) the previous operation of, or anything duly done or suffered under the said Act, or

(b) any right, privilege or obligation or liability acquired, accrued or incurred under the said Act; or

(c) any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence under the said Act, or

(d) any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid,

and, any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed as if the said Act had not been repealed.

Repeal and saving.

3. (1) The Himachal Pradesh Tax on Professions, Trades, Callings and Employments (Repeal) Ordinance, 2005 is hereby repealed. Ord. No. 9 of 2005.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance so repealed, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।